



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0 / वि0अ0 / 1992/ 2020

दिनांक: 28 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

विषय:-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या: 134 / 2020 / 2846 / 26-3-2020-4 (358)/07 टी.सी, दिनांक: 26 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त सूचना से अवगत होना चाहें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. माननीय कुलपति जी
2. प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
3. उप कुलसचिव को विश्वविद्यालय की वेब साइट एवं कालेज लागइन पर अपलोड कराने हेतु
4. सूचना पट्ट।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

पता:-शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला-बलिया, उ०प्र० पिन कोड:-277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

जारी 26/10/2020
जारी 26/10/2020

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 26 अक्टूबर 2020

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1906/स0क0/शिक्षा-अ/07/28/2020-21, दिनांक-22.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में शासनादेश संख्या-84/2020/1332/26-3-2020-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 15-06-2020 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	वर्तमान में निर्धारित समयवधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020-21)	संशोधित समयवधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020-21)
1	2	3	4
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएँ) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमार कुल सीटी की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करना।	30 सितम्बर 2020 तक	यथावत

1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थाएँ योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ- 228001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। (नोट:-राज्य से बाहर की नवीन संस्थाएँ पासवर्ड के लिये 31 अगस्त 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)	30 सितम्बर 2020 तक	यथावत
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थाएँ) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	20 अक्टूबर 2020 तक (नोट:-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)	यथावत
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	01 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक	यथावत
2ए	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	02 नवम्बर 2020 से 01 दिसम्बर 2020 तक	यथावत
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	02 नवम्बर 2020 से 01 दिसम्बर 2020 तक	यथावत
कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु			
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक	01 अगस्त से 15 दिसम्बर 2020 तक
5	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट

	तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेवशन में प्रदर्शित किया जाना।	फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 12 नवम्बर 2020 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 22 दिसम्बर 2020 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना।	02 अगस्त से 19 नवम्बर 2020 तक	02 अगस्त से 29 दिसम्बर 2020 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक	11 सितम्बर, 2020 से 20 जनवरी 2021 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	30 नवम्बर 2020 तक	15 जनवरी, 2021 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	20 नवम्बर 2020 से 10 दिसम्बर 2020 तक	30 दिसम्बर, 2020 से 20 जनवरी, 2021 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक	21 जनवरी, 2021 से 22 फरवरी, 2021 तक
12	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक	20 जनवरी, 2021 से 30 जनवरी, 2021 तक
13	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 24 दिसम्बर 2020 तक	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 02 फरवरी, 2021 तक
14	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 दिसम्बर 2020 से 28 दिसम्बर 2020 तक	21 जनवरी, 2021 से 06 फरवरी, 2021 तक

15	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	29 दिसम्बर 2020 से 06 जनवरी 2021 तक	08 फरवरी, 2021 से 22 फरवरी, 2021 तक
16	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/ छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	07 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021 तक	23 फरवरी, 2021 से 10 मार्च, 2021 तक
17	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	23 जनवरी 2021 तक	15 मार्च, 2021 तक
18	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 जनवरी 2021 तक	25 मार्च 2021 तक

नोट:-

- 1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 2- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आशान चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में सन्देहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (20 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 3- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः 07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 07 दिसम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेंगे।
- 6- छात्र के आधार तथा आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी0 से प्रमाणीकरण आवेदन करने के लिए अनिवार्य होगा।
- 7- शासनादेश संख्या-84/2020/1332/26-3-2020-4(358)/07टी0सी0 iii दिनांक 15 जून, 2020 एवं शासनादेश संख्या-107/2020/1122/26-3-2020-4(358)/07टी0सी0 iii दिनांक 02 सितम्बर, 2020 (केवल मास्टर डाटा से संबंधित बिन्दु संख्या-1 से 3 तक) की समय-सारिणी यथावत् लागू रहेगी तथा इस समय-सारिणी के अनुसार कक्षा-11 व 12 एवं अन्य उच्च कक्षाओं में छात्रों के आनलाइन आवेदन करने की अंतिम

तिथि 05 नवम्बर, 2020 तक भरे गये आवेदन पत्रों में से पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को दिनांक 26 जनवरी, 2021 की निर्धारित तिथि पर कोविड-19 की स्थिति के अनुसार शासन के निर्णयोंपरान्त पूर्व की भाँति समारोह आयोजित कर भुगतान किया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(बी०एल० मीणा)
प्रमुख सचिव

प्र०सं०- 134 / 2020 / 2846 (1) / 26-3-2020 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इक आई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

23/10/20

आज्ञा से,
(भगवती)
संयुक्त सचिव।